

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (आई.ई.सी.) सेवायें, राजस्थान जयपुर
(स्थायी नमून, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 फोन नं. 0141-2222018, 2221463)

क्रमांक :- प.480/आई.ई.सी./लेखा/दर संविदा/2015-16/ 442

दिनांक :- 23/4/2016

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान जयपुर।

विषय :- बिड आमन्त्रण सूचना प्रकाशित करने के बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के साथ संलग्न बिड आमन्त्रण सूचना को एक प्रमुख राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक प्रमुख क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 29.04.2016 को आवश्यक रूप से प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।

संलग्न :- बिड आमन्त्रण सूचना पत्र छः प्रतियों में

अतिरिक्त मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं
निदेशक (आई.ई.सी.)

प्रतिलिपी -

1. एम.डी., आर.ई.एस.एल. को ई. प्रोक पर डालने हेतु प्रेषित है।
2. सर्वर रूम को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं
निदेशक (आई.ई.सी.)

Directorate Medical, Health & Family welfare (I.E.C.) Services, Rajasthan, Swasthya Bhawan, C-Scheme, Jaipur

(Telephone No.: 0141-2222817, 2221463, E-Mail address: directoriec-rj@nic.in)

NOTICE INVITING BIDS

NIB No. 1/2016-17

1. **Sealed Single Stage Two-envelopes unconditional Bids are invited on behalf of the Governor of Rajasthan for the Rate Contract for Empanelment of agencies for IEC Events (Nukkad Natak, Lambi Tang, Kathputli Show & Cultural Activities) up to 12.00 noon of date 03.06 2016**

S. No.	Name of Article	Quantity and unit in Rs.	Amount of Bid Security Rs.	Bid Document Fees Rs.	Place of Event
1.	IEC events (Nukkad Natak, Lambi Tang, Kathputli Show & Cultural Activity)	450.00 Lac	9.00 Lac	1000/-	All Rajasthan

2. **The Bid is for a Annual rate Contract.**
3. **Bidding Document can be seen and downloaded from the website of State Public Procurement Portal, "sppp.raj.nic.in" and "rajswasthya.nic.in".**

**Additional Mission Director (NHM) &
Director (I.E.C.)
Rajasthan, Jaipur**

Financial Bid - FORM 'B'
लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दर संविदा(बिड)

बिड जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय : 03.06.2016 दोपहर 12.00 बजे तक
बिड खोलने की दिनांक व समय : 03.06.2016 सायं 03.00 बजे

कार्य की अनुमानित राशि रु.450.00 लाख
बोली प्रतिभूति राशि रु. 9.00 लाख

कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुमानित राशि का 5 %

हमारी फर्म निम्नांकित दरों पर लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम बिड शर्तों के अनुसार करने हेतु सहमत है।

Rates of Folk Events

क्र. सं.	IEC Events	Folk Event inclusive of all taxes & other expenses Rates in rupees per program
1	लम्बी टांग • इस दल में दो सदस्य होंगे। एक लम्बी टांग वाला तथा दूसरे के पास भोपू होगा। लम्बी टांग का एक कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।	
2	कठपुतली • इस कार्यक्रम के दल में 4 कलाकार होंगे। एक कार्यक्रम की अवधि कम से कम 1 घण्टा 30 मिनट होगी।	
3	नुक्कड़ नाटक • इस कार्यक्रम के दल में 8 कलाकार होंगे। • एक कार्यक्रम की अवधि कम से कम 1 घण्टा 30 मिनट होगी। हारमोनियम एवं आवश्यकतानुसार अन्य वाद्य यंत्र आवश्यक है।	
4	सांस्कृतिक कार्यक्रम • इस कार्यक्रम के दल में कम से कम 6 कलाकार होंगे। • एक कार्यक्रम की अवधि कम से कम 1 घण्टा 30 मिनट होगी। आवश्यकता अनुसार उत्तम गुणवत्ता के वाद्य यंत्र भी होने चाहिए।	

नोट :-

- बिड में राजस्थान राज्य के लिए चारों कार्यक्रमों की दर प्रस्तुत की जावे, अन्यथा बिड अपूर्ण मानते हुए निरस्त समझी जावेगी।
- कार्यक्रम जिला मुख्यालय, उपखण्ड, ब्लॉक, ग्राम पंचायत/ग्राम अर्थात् सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में सम्बन्धित मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देशित स्थान एवं कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित किये जावेंगे। जिसके लिए सम्पूर्ण जिले की एक ही दर मान्य होगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
(नाम, पता, फोन नं. सहित)

राजस्थान-सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (आई.ई.सी.) सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 फोन नं. 0141-2222018, 2221463)

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड

(NIB No. 1/2016-17)

बिड फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि व समय - 03.06.2016 दोपहर 12.00 बजे तक

बिड खोलने की तिथि व समय - 03.06.2016 सायं 03.00 बजे तक

कार्य की अनुमानित लागत रुपये 450.00 लाख

बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत का 5 %

बिड प्रपत्र शुल्क - 1000 रुपये (डी.डी. संलग्न करे जो Director, I.E.C., JAIPUR के नाम से देय हो)

बोली प्रतिभूति राशि - 9.00 लाख (डी.डी. संलग्न करे जो Director, I.E.C., JAIPUR के नाम से देय हो)

प्रोसेसिंग फीस 1000/- (डी.डी. संलग्न करे जो M.D. R.I.S.L., JAIPUR के नाम से देय हो)

लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पैनल बनाने हेतु दर संविदा(बिड)

To,

**Additional Mission Director (NHM),
& Director (I.E.C.),
Directorate Medical, Health & F.W.(I.E.C.) Rajasthan, Jaipur
Swasthya Bhawan, C-Scheme, Jaipur -302005**

We, the undersigned, declare that:

1. We have examined the Bidding Document
2. If our Bid is accepted, we commit to obtain a Performance Security.
3. We are not participating, as Bidders, in more than one Bid in this bidding process.
4. Our firm, its affiliates or subsidiaries, including any subcontractors or suppliers has not been debarred by the State Government or the Procuring Entity as per provision of RTTP Act & Rules.
5. We understand that this Bid, together with your written acceptance shall constitute a binding contract between us, until a formal Contract is prepared and executed;
6. We understand that you are not bound to accept the lowest evaluated bid or any other bid that you may receive;
7. We agree to permit the Procuring Entity or its representative to inspect our accounts and records and other documents relating to the bid submission and to have them audited by auditors appointed by the Procuring Entity;
8. We declare that we have complied with and shall continue to comply with the provisions of the Code of Integrity for Bidders as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 and this Bidding Document in this procurement process and in execution of the Contract;
9. हम निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर द्वारा जारी की गयी बिड सूचना संख्या 01/2016-17 में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

10. इस तकनीकी बिड के साथ निम्नांकित प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य है जो संलग्न कर दी गई है:-

- i. निविदा की शर्तों पर सहमति प्रदान कराते हुए उसे भी अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- ii. बिड प्रपत्र मय बिडदाता/बिडदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व मोहर
- iii. बिड प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के दो पृथक-पृथक बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट (मूल प्रति)
 - बिड प्रपत्र शुल्क निदेशक, आई.ई.सी. के पक्ष में जयपुर में देय डी.डी./बैंकर चैक - राशि रु. 1000/- मात्र
 - बोली प्रतिभूति राशि निदेशक, आई.ई.सी. के पक्ष में जयपुर में देय डी.डी./बैंकर चैक - राशि रु. 9.00 लाख मात्र
 - प्रोसेसिंग फीस एम.डी. आर.आई.एस.एल. के पक्ष में जयपुर में देय डी.डी./बैंकर चैक - राशि रु. 1000/- मात्र
- iv. दिनांक 31.3.2015 तक का बिक्री कर/सेवाकर चुकता प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड की छाया प्रति।
- v. बिडदाता फर्म पंजीकृत संस्था है तो पंजीयन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
- vi. फर्म के लेटर हैड पर फर्म के द्वारा धारित संसाधन/मशीनरी/मानव शक्ति की सूची।
- vii. राजकीय विभाग, राजकीय उपक्रम एवं राजकीय कम्पनी अथवा प्रदेश के जिलों में राजकीय स्तर पर इसी प्रकार के कार्य करने का गत तीन वर्षों (2013-14 से 2015-16 तक) की अवधि में से किसी भी एक वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण संलग्न किया जाना है।
- viii. फर्म के उक्त आशय के जागरूकता कार्यों के पिछले तीन वर्षों (2012-13 से 2014-15 तक) में से किसी एक वर्ष का टर्नओवर 2.00 करोड़ या उससे अधिक हो (सनदी लेखाकार द्वारा अंकक्षित अन्तिम लेखों की सत्यापित प्रति संलग्न की जावें)
- ix. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्धारित बिडर द्वारा की जाने वाली घोषणाएँ एवं Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest की घोषणाएं अपलोड कर दी गई है तथा Annx. A,B,D & E हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
- x. बिडदाता यदि फर्म/कम्पनी है तो अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो इस बिड के लिये विशेष रूप से फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत किया गया है, के प्राधिकार पत्र की प्रति जिस पर प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, पता तथा फर्म/कम्पनी में उसकी स्थिति (Status) एवं उसके हस्ताक्षर प्रमाणित हो (संलग्न करावें)। विभाग अन्य किसी से इस संबंध में सम्पर्क नहीं करेगा। प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, फर्म का पता एवं मोबाईल नं. व ई-मेल पता अंकित किया जाना अनिवार्य है।
11. बिडदाता अपनी बिड व फीस इत्यादि दिनांक 03.06.2016 को दोपहर 12.00 बजे तक तिलक मार्ग, जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन के कमरा नं. 202 में हस्ताक्षरित/फर्म की सील लगे बन्द लिफाफे में व्यक्तिशः जमा करायें। इसके पश्चात् प्राप्त बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
(नाम, पता, फोन नं. सहित)

राजस्थान-सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (आई.ई.सी.) सेवायें, राजस्थान जयपुर
(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 फोन नं. 0141-2222018, 2221463)

लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पैनल बनाने हेतु दर संविदा की निर्धारित अन्य शर्तें

1. बिड प्रपत्र में अंकित सभी शर्तें दर संविदा का भाग मानी जावेगी।
2. बिडदाता फर्म बिड प्रपत्र के **Financial Bid - FORM 'B' (BOQ)** में ही अपनी दरें दर्शाएँ। विभागीय प्रोफार्मा के अतिरिक्त दी गई दरें मान्य नहीं होगी। फर्म की कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी। सशर्त बिड निरस्त समझी जावेगी।
3. बिडदाता द्वारा अपनी बिड दो लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी, जिसमें से एक लिफाफे का नाम "तकनीकी बिड" होगा, इसमें दर संविदा फार्म - प्रपत्र 'अ' तथा इस प्रपत्र के पैरा सं. 10 में उल्लेखित फर्म से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र तथा बोली प्रतिभूति राशि एवं बिड प्रपत्र शुल्क के मूल डी.डी. / बैंकर चैक प्रस्तुत किये जावेंगे। दूसरा लिफाफा, जिसका नाम "वित्तीय बिड" होगा, उसमें वित्तीय बिड शीट **Financial Bid - FORM 'B' (BOQ)** में अपनी दरें भरकर प्रस्तुत करनी होगी। दोनों लिफाफों पर "लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बिड" एवं **NIB No. 1/2016-17** अंकित किये जावेंगे। उक्त दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे (कवर) में रखकर प्रस्तुत करने होंगे।
4. निर्धारित तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मों की वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है, तो उस फर्म की बिड को रद्द कर दिया जावेगा।
5. बोली प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत ली जावेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत होगी। जो सफल बिडदाता को विभाग द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने पर निर्धारित समयावधि में निदेशक, आई.ई.सी. के पक्ष में जयपुर में देय बैंकर चैक/डी.डी. के माध्यम से जमा करानी होगी। साथ ही राशि रु. 1,000/- के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध का निष्पादन करना होगा।
6. फर्म को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मुद्रित सामग्री का वितरण एवं प्रदर्शन लोक कार्यक्रमों के दौरान करना होगा। लोक कार्यक्रमों के सम्पादन से सम्बन्धित समस्त सामग्री, वेशभूषा, वाद्ययंत्र एवं अन्य आवश्यक उपकरण फर्म को स्वयं व्यवस्था करनी होगी। विभाग द्वारा स्वीकृत दर के अतिरिक्त इनके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. फर्म को परिवहन व्यवस्था स्वयं के स्तर से करनी होगी। कलाकारों को ठहरने व उनके खान-पीन की व्यवस्था भी फर्म को स्वयं के स्तर से करनी होगी। इनके लिए फर्म को पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
8. दल के पास उत्तम गुणवत्ता के वाद्ययंत्र एवं पोशाक साफ-सुथरी होनी चाहिए। कठपुतली भी उत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए।
9. कार्यक्रम प्रभावित आबादी क्षेत्र के सुगम एवं प्रमुख स्थान पर सम्पादित करना होगा। जिससे अधिकाधिक जनता को कार्यक्रम का लाभ मिल सकें। फर्म को "लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन कार्य" आदेश की दिनांक से निर्धारित दिवस में पूर्ण करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कार्यक्रम की स्क्रिप्ट का अनुमोदन किया जाकर फर्म को कार्यक्रम के निर्धारित स्थानों की सूची उपलब्ध कराई जायेगी।
10. कार्य सम्पादन में विलम्ब होने पर संलग्न प्रारूप एग्रीमेन्ट में अंकित अनुसार परिनिर्धारित क्षति की राशि फर्म को देय राशि में से काटी जावेगी। सारभूत त्रुटि होने की दशा में विभाग को कार्य अस्वीकार करने एवं अनुमोदित फर्म की रिस्क व कॉस्ट पर अन्यत्र से कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. राजस्थान राज्य की पंजीकृत फर्मों को राज्य सरकार की नीति के अनुसार मूल्य अधिमानता का लाभ दिया जावेगा।
12. सफल निविदादाता को कार्यक्रम हेतु कार्यादेश जारी करने पर कार्यक्रम क्रियावयन हेतु भारत सरकार/राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं यथा :- क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, गीत एवं नाटक प्रभाग, कला एवं संस्कृति, पर्यटन, जवाहर कला केन्द्र, रविन्द्र मंच, संगीत नाटक अकादमी, आकाशवाणी व दूरदर्शन से सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त तथा जिला स्तर पर पंजीकृत संस्थाओं को प्राथमिकता से अवसर प्रदान किया जायेगा। इच्छुक निविदादाता द्वारा ऐसी संस्थाओं की सूची तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करनी

- होगी। यह सूची अनुबंध का हिस्सा होगी। ऐसे कलाकारों को अवसर न मिलने पर शास्ति व अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।
13. आर.टी.पी.पी. नियम संख्या - 74 के कम में यह निविदा पैनल निर्धारण हेतु की जा रही है, कार्य के परिमाण व विभागीय आवश्यकतानुसार किसी भी फर्म को विभाग द्वारा जिला/संभाग में विभिन्न चयनित फर्मों को कार्य आवंटित किया जा सकता है।
 14. फर्म द्वारा कार्य करने के पश्चात् सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित बिल एवं कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित स्वास्थ्यकर्मी/सचिव ग्राम पंचायत/सरपंच/प्रधानाध्यापक/ए.एन.एम./आशा/एल.एच.वी./पटवारी/राजपत्रित अधिकारी के प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में तथा फोटोग्राफ सहित बिल निदेशालय में प्रस्तुत किये जावेंगे। जिनका भुगतान विभाग एक माह में करने का प्रयास करेगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जावेगा।
 15. बोलीदाता को गत 3 वर्षों (2013-14, 2014-15 एवं 2015-16) से लेकर बोली की दिनांक तक किसी बोर्ड/निगम/प्राधिकरण/सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालय से DEBAR/डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। किसी राजकीय विभाग, उपक्रम अथवा राजकीय कंपनी द्वारा DEBAR अथवा अयोग्य (डिफाल्टर) फर्म गिड प्रस्तुत करने में अपात्र मानी जावेगी, यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी बिड प्रस्तुत करती है, तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति/कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जप्त करते हुए आर.टी.पी.पी. एक्ट एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
 16. बिडदाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, विभाग में स्वीकार करने के बाद भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
 17. बिना बोली प्रतिभूति राशि के एवं अपूर्ण भरी हुई बिड पर विचार नहीं किया जायेगा एवं बिड अस्वीकृत कर दी जावेगी।
 18. बिड दाता फर्म का यह दायित्व होगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान उपस्थित जनसमुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने वाला कृत्य नहीं किया जावेगा।
 19. सांस्कृतिक दल को उपलब्ध कराये गये निर्धारित स्थानों पर कार्यक्रम प्रदर्शन से एक घंटे पूर्व पहुँचकर कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार किया जावेगा तथा अधिकाधिक लोगों को कार्यक्रम देखने के लिए उपस्थित होने हेतु प्रेरित किया जावेगा।
 20. कार्यक्रम प्रदर्शन के पश्चात् आमजन को कार्यक्रम से जानकारी प्राप्त होने एवं कार्यक्रम के प्रदर्शन की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप उपस्थित आमजन से भरवाया जावेगा। इस प्रारूप को भरने वाले नागरिक का नाम, पता, फोन नं. अंकित किये जावेंगे।
 21. एक दिन में एक दल द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन एक दिन में दो कार्यक्रमों से अधिक नहीं किया जायेगा अथवा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली गाइड-लाइन के अनुसार किया जायेगा।
 22. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अधीन इस विभाग में प्रथम अपील प्राधिकारी "विशिष्ट शासन (प.क.) एवं मिशन निदेशक (एन.एच.एम.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर" तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी "प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर" होंगे।
 23. किसी भी बिड को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर को होगा।
 24. कार्य का निरीक्षण निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, जयपुर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा भी किया जावेगा। विभाग द्वारा कार्य के निरीक्षण के उपरान्त कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही भुगतान किया जावेगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर राशि कटौती का निर्धारण विभाग द्वारा कार्य की कमी/गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा। बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा जिस पर बिल संख्या, सेवाकर पंजियन संख्या, पैन नम्बर अंकित होना आवश्यक है।
 25. सफल बिडदाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कार्य सम्पादन करने में असफल रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर विभाग को अनुमोदित फर्म के हर्जे-खर्चे पर अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य करवाने का अधिकारी होगा, साथ ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ली जावेगी।
 26. बिड फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में वर्णित कार्य संबंधी दरें समस्त कर शुल्क सामग्री, श्रम व्यय एवं परिवहन लागत आदि सहित अंकित होगी। इसके अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा।
 27. कार्यक्रम दलों को किसी दुर्घटना/घटना के कारण कोई जान-माल की क्षति होती है तो इस विभाग/सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

28. संविदा अवधि में कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्याधीन होंगी। संविदाधारक फर्म द्वारा इस संविदा अवधि में राज्य में किसी अन्य बिड में इस संविदा से कम कीमत पर बिड प्रस्तुत करता है, तो उसकी सूचना अविलम्ब विभाग को देगा।
29. सफल बिडदाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिये गये आदेशों को रद्द करते हुए बिडदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ले।
30. निविदादाता फर्म को गत 3 वर्षों (2012-13, 2013-14 एवं 2014-15) से लेकर बोली की दिनांक तक किसी बोर्ड/निगम/प्राधिकरण/सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालय/सरकार से संबंधित अन्य कार्यालय से DEBAR/डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। फर्म द्वारा 10 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर स्वप्रमाणित शपथपत्र इस हेतु Annex-E में प्रस्तुत किया जावेगा।
31. निविदादाता फर्म को विगत तीन वर्षों में मिथ्या कथन/दंडित अपराध न्यायालय द्वारा फर्म/निदेशक/अधिकारी के प्रति कोई कार्यवाही न होने का प्रमाणपत्र Annex-B में प्रस्तुत करना होगा।
32. निविदादाता फर्म प्रस्तुत वित्तीय बोली खुलने के पश्चात् तथा विभाग द्वारा कार्यदेश दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत की गई दरों को वापस लेता है या कार्य प्रारंभ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/कार्य संपादन प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेगा तथा DEBAR करने की कार्यवाही भी की जावेगी।
33. तकनीकी एवं वित्तीय दर संविदा में उल्लेखित निविदा शर्तों व निविदा नोटिस को भी इस निविदा का भाग माना जावेगा।
34. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण स्टोर शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में विभागीय मेल-आईडी directories-rj@nic.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।
35. किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।
36. दर संविदा की अन्य शर्तें आर.टी.पी.पी. एक्ट/नियम के अनुसार लागू होंगी।
37. इस दर संविदा में भाग लेने से पूर्व समस्त निविदादाता स्वयं को राज्य में लागू आर.टी.पी.पी. एक्ट व नियमों के प्रावधानों से स्वयं को अवगत करा लें।
38. समस्त दर संविदा प्रपत्र दिनांक 03.06.2016 को दोपहर 12.00 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं। तकनीकी बिड दिनांक 03.06.2016 को दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी।

अतिरिक्त मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं
निदेशक (आई.ई.सी.)

11

Annexure - A
Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:

Place:

Signature of bidder :

Name:

Designation :

Address

Annexure-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place :

Signature of bidder Name:

Designation: Address:

R. Kan
2

Annexure C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be tiled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled

Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D:
Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis;

- (i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected ;
- (ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of error, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary quantities.

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding documents may be increased or decreased, by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of contract.
- (ii) If the procuring entity does not procure and subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change circumstances, the bidder shall not be entitled to any claim or compensation except otherwise provide in the conditions of contract.
- (iii) In case of procurement of goods or services, additional may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one bidder at the time of award (In case of procurement of Goods) :-

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner, at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

Annexure : E
Declarations and Undertakings

(On Non Judicial Stamp Paper worth Rs. 10/-)

1. We (Name of firm) do hereby undertake that we have installed manufacturing /producing capacity/selling/distribution capacity of Said items in the bid as detailed in Document.
2. We do hereby undertake that our company/firm has not been Debar/Defaulter by any Govt. (Government of India/State Govt. & undertakings etc.) & their subordinate Departments for participation/submission of bids (as per RTPP Act section 11(2)(c)). We do hereby undertake that our company/firm has been Debar by (Name of Govt./Dept.) & required information as below :- /Defaulter
 - (i) Cause of Debarring/Defaulter.
 - (ii) For which item
 - (iii) Period of Debarring/Defaulter.
 - (iv) Latest Status of Debarring/Defaulter.
3. If this declaration is found to be incorrect, then without prejudice to any other action that may be taken against us, the bid if and to the extent accepted may be cancelled and the amount of Bid Security/ Security Money may be forfeited (as per RTPP Act section 11(3)).

Place :

Signature of Authorized Signatory

Date:

Name and Signature of Bidder

Designation with seal

Witness by

Signature :-

Name :-

Address :-

Mobile No :-